रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092020-221479
CG-DL-E-01092020-221479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]	नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2020/भाद्र 9, 1942
No. 349]	NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2020/BHADRA 9, 1942

LokLF; vkSj ifjokj dY;k.k ea=ky;

¼Hkkjrh; [kk| lqj{kk vkSj ekud izkf/kdj.k½

vf/klwpuk

नई दिल्ली, .27 अगस्त, 2020

Qk- la- ,Q-2&63@,Q,l,l,vkbZ@,llh ,oa ,lih dkjckj lO;ogkj@vkjbZ,lth@2020.—भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) विनियम, 2016 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 15 के साथ पठित धारा 92 की उप–धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इनसे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप–धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतदद्वारा प्रकाशित करती है और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से साठ दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली–110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई–मेल से भेजा जा सकता है।

उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार निर्धारित तिथि तक प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा विचार किया जाएगा।

izk:i fofu;e

1. (1) इन विनियमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (कारोबार का संव्यवहार तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) विनियम, 2016 संशोधन विनियम, 2020 कहा जा सकता है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ((कारोबार का संव्यवहार तथा वैज्ञानिक समिति और वैज्ञानिक पैनल की प्रक्रिया) विनियम, 2016 के,–

(1) विनियम 11 के उप–विनियम (1) में ''एक–तिहाई'' शब्दों की जगह ''दो–तिहाई'' शब्द रखे जाएँगे।

(2) विनियम 12 के उप–विनियम (1) की जगह निम्नलिखित उप–विनियम रखा जाएगा, अर्थात्,–

"(1) सचिवालय द्वारा वैज्ञानिक समिति अथवा वैज्ञानिक पैनलों की बैठकों की मसौदा कार्यसूची वैज्ञानिक पैनल विशेष अथवा वैज्ञानिक समिति के अध्यक्ष के परामर्श से तैयार की जाएगी और सदस्यों को बैठक की तिथि से कम से 10 कार्य दिवस पहले परिचालित की जाएगी।"

अरुण सिंघल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन– III/4/असा./204/2020–21]

fVIi.kh % मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्या फा. सं. एफ.2–63/एफएसएसएआई/एससी एवं एसपी कारबार संव्यहार/आरईजी/2015, दिनांक 2 दिसंबर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th August, 2020

F. No. F. 2-63/FSSAI/Tr. Business SC and SP/Reg/2020.—The draft regulations further to amend the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business and Procedures for the Scientific Committee and Scientific Panels) Regulations, 2016 which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make with previous approval of the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 92 read with section 15 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required under sub-section (1) of section 92 of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft regulations shall be taken into consideration after the expiry of the period of sixty days from the date on which copies of the Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002 or may be sent by e-mail at regulation@fssai.gov.in;

Objections or suggestions which may be received with respect to the said draft regulations within the period specified above shall be considered by the Food Safety and Standards Authority of India.

Draft Regulations

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business and Procedures for the Scientific Committee and Scientific Panels) Regulation, 2016 Amendment Regulations, 2020.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards Authority of India (Transaction of Business and Procedures for the Scientific Committee and Scientific Panels) Regulations, 2016-

(1) In regulation 11, in sub-regulation (1), for the words "one third" the words "two third" shall be substituted.

(2) In regulation 12, sub-regulation (1) shall be substituted with the following, namely-

"(1) The draft agenda of the meetings of the Scientific Committee or Scientific Panels shall be drawn up by the Secretariat in consultation with the Chairperson of the specific SP or SC and circulated to members at least ten working days before the meeting."

ARUN SINGHAL, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./204/2020-21]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number F. No. F.I-63/FSSAI/Tr. Business SC and SP/Reg/2015, dated the 2nd December, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM